न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 11/2016

तारीख रजू :– 01.04.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

1 मनोहरलाल } पि0 नर्वदा पत्नि रामसहाय, जाति महाजन, निवासी
2 राधेश्याम } खादडा पाडा टोडाभीम, जिला करौली राज0।
3 गोपाल लाल }

सायलान

बनाम

1 रेशम पत्नी प्रहलाद
2 प्रहलाद पुत्र मनोहरी
3 नरहरी } पि. प्रहलाद
4 तेजू उर्फ बंडा }
5 कृष्णा उर्फ छोटू }

} समस्त जाति मीना, निवासी बाल का पुरा तह0 टोडाभीम, जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 सुरेश चन्द शर्मा – अभिभाषक सायलान

2 सुनील कुमार जिन्दल :–अभिभाषक गैरसायलान

निर्णय दिनांक–24.03.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 1509/7687 रकबा 0.05है0, 1600 कुल रकबा 0.35है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40है0 ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा में स्थित है। जो साबिक नम्बर 128 रकवा 2 वीघा 129

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रकबा 10 बिस्वा से बना कर अंकित किये है। साविक नम्बर 129 से नवीन नम्बर बनाते समय 5 ऐयर जमीन कम कर दी। आराजीयात प्रार्थना पत्र सायलान को उनकी माता नर्वदा देवी से विरासत में मिली है। सायलान की आराजी को चारो ओर से डोल मेढ बनाकर महदूद कर रखी है। उक्त आराजी में पेड सतरह आम के, एक नीव का दरखत, के लगे हुए है तथा बोर्ड लगा हुआ है। सायलान की उक्त आराजी बालाजी टोडाभीम रोड में स्थित है। उक्त आराजी पर सायलान 45 साल से काबिज एवं दखील है। साबिक आराजी ट्रेश से नवीन ट्रेश बनाते समय सेटिलमेन्ट बालो ने एक दम गलत बना दिया है। तथा सडक के लगवा हिस्सा ख0नं0 1600 का कुछ भाग नवीन ट्रेश से हजफ कर दिया है। आराजी ख0नं0 1594/0.53, 1595/0.36 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89है0 ग्राम 11 बिस्वा टोडाभीम पूर्व में अतीव अहमद, रफीक अहमद, पि. खलील रहमान, हिस्सा 1/2 तथा गफूरी पत्नि बुन्दू खॉ हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी में थी जिसमें से अतीक के फौत होने के बाद उनके वारिसान के नाम हिस्सा 1/4 आया जिसको गैरसायल नं0 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया जो सायलान की आराजी के पीछे पश्चिम दिशा की तरफ है। उक्त खरीद के बाद गैरसायलान सायलान को हैरान परेशान करते रहते है। तथा सायलान के लगे बोर्ड को हटा कर फेंक दिया। तथा धमकी देते है कि ये पेड आम के हमारे है। हम ही इनकी फसल का उपयोग करेगे तुम्हे नही करने देगे तथा एक पेड पापडी को जबरदस्ती काट कर ले गये तथा सायलान की आराजी से लठठ के सहारे लकडिया पूडा बगै0 पटक रखे है। तथा भैसो को नही बांधने देते है। बाका दिनांक 18.03.2016 का है कि सायलान द्वारा अपनी आराजी को धर्मसिंह को काश्त बता रखा है। वह आराजी की देखभाल कर रहा था कि गैरसायल आराजी पर आये तथा कहने लगे कि तुम इन पेडो आमो की तरफ मत आना नही तो अच्छा नही होगा। हम ही इनका उपयोग करेगे तथा

जिला कलेक्टर ... भीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner

इनकी फसलो का उपयोग करेगे। ये बात सांझेदारी द्वारा सायलान को बतलायी तो वह गैरसायलान से मिला तो गैरसायलान ने धमकी दी है कि हमने जमीन खरीद ली है। इसलिये हम सडक तक कब्जा करेगे जबकि गैरसायलान व सायलान के मध्य पुख्ता डण्डा बना हुआ है। जो 120 फीट लम्बा है तथा 6 फीट ऊँचा है। इन आम के पेडो का उपयोग करेगे इस पर सायलान द्वारा समझाया कि उक्त पेडो से ना तो तुम्हारा ना तुमको जमीन बेचने वालो का कोई संबंध है। उक्त पेड आम के हमारी आराजी 1600 में है। तुम हमें क्यो नाहक परेशान करते हो तो गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि अभी तो हमने कहा ही है। अब हम इनको काटकर ले जावेगे। तथा तुमने कोई कार्यवाही की तो इसका परिणाम भी भुगता देगे। सायलान द्वारा अपनी आराजीयात के पीछे पुख्ता डण्डा का निर्माण करवाया हुआ। उसके बाद भी कुछ आराजी सायल की है। तथा मुख्य सडक से आराजी पर उतरने के लिये सायलान द्वारा पक्की सीढीयो का निर्माण करवाया हुआ है। गैरसायलान लठठ के बल पर सायलान की आराजीयात को हडपना चाहते है। इसलिये निवेदन है कि गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी 1509/7687 व 1600 ग्राम टोडाभीम 11बिस्वा में मजाहमत मदाखलत नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र के अधिकतम मदो को अस्वीकार करते हुए अपने जबावदावा में अंकित किया कि सायलान की तथाकथित आराजी में आम के पेड, नीम के पेड लगा होना चारो तरफ बाउन्ड्री बॉल होना तथा गेर्ड लगा होनो स्वीकार नही है। सैटिलमेन्ट ने नवीन ट्रेश को मौके की स्थिति के अनुसार बनाया है ना ही ख0नं0 1600 का भाग नवीन ट्रेश में हजफ किया है। गैरसायलान नम्बर 1 एवं रामपति पत्नि मुनीम द्वारा ख0नं0

उप जिला कलेक्टर

1594/0.53, 1595/0.36 है0 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया, रामपति गफूरी को पक्षकार नही बनाया है। सायलान की भूमि पूर्व दिशा में रास्ता है। रास्ते के पश्चात् सायलान की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1509/7687 है तथा ख0नं0 1600 व 1509/7687 के मध्य रास्ता है। जो सायलान की भूमि में होकर निकलता है। रास्ते में ही सायलान की भूमि का रकबा कम हुआ है। सायलान का प्राईमाफेसी केश साबित नही है, सुविधा का सन्तुलन सायलन के पक्ष में नही है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ख0नं0 1509/7687, 1600 टोडाभीम 11बिस्वा के रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। उसमें सतरह पेड आम के लगे हुए, बबूल के पेड है। उक्त आराजी से गैरसायलान का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। सायलान का सैटिलमेन्ट द्वारा रकबा कम कर दिया है। गैरसायलान द्वारा ख0नं0 1594/0.53, 1595/0.36 के 1/4 हिस्से को कुछ समय पूर्व ही पूर्व के खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया तथा गैरसायलान की उक्त खरीद शुदा आराजी के किसी भी तरफ आराजी नही है। इसलिये वे मात्र 22 ऐयर भूमि तक ही स्वामित्व रखते है। गैरसायलान सैटिलमेन्ट द्वारा सायलान की भूमि कम कर दी है। उस भूमि पर काबिज होना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया है कि गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ट्रेश मौजूदा साबिक ट्रेश के अनुसार बनाया है। सायलान गैरसायलान द्वारा खरीद की गई भूमि के हिस्से से ज्यादा

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जबकि सायलान की भूमि रास्ते में चली गई तथा दोनो नम्बरो के मध्य रास्ता है। सायलान द्वारा जब बाउन्ड्री कर रखी है तो कब्जा करना हास्याप्रद है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रांवली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये तीनो बिन्दूओ पर विचारण किया गया :–

1 **प्रथम दृष्टयां :–** सायल अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी मौजूदा पेश की जिसमें ख0नं0 1509/7687, 1600 टोडाभीम 11बिस्वा सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। गैरसायल द्वारा उक्त आराजी के लगवा ख0नं0 1594 व 1595 का 1/4 हिस्सा खरीद किया है। इसलिये गैरसायलान 1/4 हिस्से तक ही काबिज हो सकते है। सायलान अपनी साबिक आराजी के मुताबिक नवीन रकबे पर काबिज है तथा सायलान द्वारा मौजूदा रिकार्ड पत्रांवली पर प्रस्तुत है। तथा अपनी खातेदारी की आराजी पर वर्षो से काबिज है तथा आज भी काबिज है। सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का सन्तुलन :–** सायलान द्वारा प्रस्तुत मौजूदा रिकार्ड से प्रथम दृष्टया पूर्णतः साबित है। अगर गैरसायलान को सायलान की आराजी से पाबन्द नही किया गया तो सायलान को अधिक असुविधा होगी। इसलिये उक्त बिन्दू भी सायलान के हक में साबित है।

3 **अपूर्तनीय क्षति :–** सायलान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सायलान का प्रथम दृष्टयां केश, सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में पूर्णतः साबित है। यदि गैरसायलान द्वारा सायलान की आराजी तथा आराजी में लगे दरखत पेड आमों

उप जिला कलैक्टर
टोडाभीम (करौली)

पर कब्जा पर लिया तो सायलान को अत्यधिक क्षति होगी। इसलिये उक्त विन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे आराजी ख0नं0 1509/7687, 1600 ग्राम टोडाभीम 11बिसवा तह0 टोडाभीम में सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे, उक्त आराजी में खडे पेडो आमों को कोई नुकसान नही पहुॅचावे, उन पर कब्जा नही करे, ऐसा कोई कार्य नही करे, जिससे सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा हो, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 24.03.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

जगदीश आर्य
उप जिला कलेक्टर
उपजिला कलेक्टर, टोडाभीम
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner